केन्द्रीय विद्यालय, संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
संभागीय कार्यालय, सिलचर
नियर लॉयन्स आई ,हॉस्पीटल .
कैप्टन एन788001-सिलचर ,गुप्ता सरणी .एम.
☏ (03842) 234009 (DC)/ 246886(ACs) /245737 (AO) /261784 (FO)

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Min. of Education, Govt of India
REGIONAL OFFICE, SILCHAR
Near Lion's Eye Hospital, Captain N.M. Gupta Sarani, Silchar-788001
E-mail: dckvsrosilchar@gmail.com
Web. www.rosilchar.kvs.gov.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पत्र सं.29331(3)/2023-24/के.वि.सं.(क्षे.का.) सिलचर/शैक्षिक / 8363-92 दिनांक-15.05.2023

सिर्फ ई-मेल द्वारा

सेवा में,
प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
सिलचर संभाग

विषयः छात्र/छात्राओं हेतु **One Time** **वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2023-24** के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय छात्र/छात्राओं के स्थानीय स्थानांतरण हेतु प्रोफार्मा संलग्न है। छात्र/छात्राओं के **वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण** 2023-24 हेतु कृपया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

01. वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण आवेदन हेतु **अंतिम तिथिः 31.07.2023** है।

02. वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के आवेदन प्रपत्र में अभिभावक अपना पूर्ण विवरण भरकर **तीन प्रतियों** में, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जमा कर दें।

03. तत्पश्चात् वर्तमान में जिस विद्यालय में छात्र पढ़ रहा है, वहाँ के प्राचार्य वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के समस्त आवेदन प्रपत्र में अपनी टिप्पणी सहित संबंधित प्राचार्य को (**यानी जिस विद्यालय में छात्र/छात्रा स्थाननीय स्थानांतरण चाहता है।**) दिनांक-03.08.2023 तक भेज देंगे।

04. तत्पश्चात् **जिस विद्यालय में छात्र/छात्रा स्थाननीय स्थानांतरण चाहता है।** वहाँ के प्राचार्य वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के **समस्त** आवेदन प्रपत्र में **दिनांक-31.07.2023 तक के छात्रों के संख्या के आधार** पर अपनी टिप्पणी सहित दिनांक-08.08.2023 तक **डाक द्वारा** संभागीय कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

05. वार्षिक स्थाननीय स्थानांतरण-2023-24 के आवेदनों का निपटारा **संभागीय स्तर पर गठित समिति** के द्वारा **संभागीय स्तर पर** किया जाएगा।

समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थाननीय स्थानांतरण 2023-24 की सूचना (प्रपत्र सहित) विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर अपलोड अवश्य करें।

नोटः- वार्षिक स्थाननीय स्थनांतरण का यह प्रक्रिया One Time (Yearly) प्रक्रिया है। इसके पूरा होने के पश्चात् विद्यालय द्वारा स्थाननीय स्थानांतरण से संबंधित कोई भी पत्र इस कार्यालय में प्रेषित न करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि

(पी.आई.टी. राजा)
उपायुक्त